

बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग

प्रेषक,

सुनील कुमार तिवारी,
सरकार के अवर सचिव।

सेवा में,

प्रभारी पदाधिकारी,
वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग,
बिहार, पटना।

पटना-15, दिनांक.....

विषय:-

बिहार न्यायिक सेवा के पदाधिकारियों को एल.एल.एम. डिग्री के आधार पर तीन अतिरिक्त वेतन वृद्धि की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि महानिबंधक, उच्च न्यायालय, पटना के पत्रांक-4634 दिनांक 17.01.2026 द्वारा संसूचित अनुशंसा के आलोक में वित्त विभागीय संकल्प ज्ञापांक-2140 दिनांक 28.02.2024 सहपठित ज्ञापांक-6039 दिनांक 05.06.2024 में निहित प्रावधानों के तहत निम्नलिखित न्यायिक पदाधिकारियों को उनके नाम के समक्ष स्तम्भ-5 में अंकित तिथि से तीन अतिरिक्त वेतन वृद्धि की स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

क्र० सं०	नाम/पदनाम/पदस्थापन	बिहार न्यायिक सेवा में योगदान की तिथि	एलएल.एम. उत्तीर्णता की तिथि	वेतन वृद्धि की तिथि
1	2	3	4	5
1	श्री नर्वदेश्वर पाण्डेय, सदस्य सचिव, बी.एस.सी.एम.एस.सी., पटना उच्च न्यायालय, पटना।	21.10.2021	31.12.2025	31.12.2025
2	श्री राजीव रंजन सिंह, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, वैशाली, हाजीपुर।	12.10.2007	24.09.2025	24.09.2025
3	श्री जितेन्द्र कुमार II, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, खगड़िया।	08.10.2007	23.09.2025	23.09.2025
4	श्री सुभाष कुमार राय, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, मधुबनी।	04.01.2008	24.09.2025	24.09.2025

5	श्री रोहित कुमार गुप्ता, सिविल जज (कनीय कोटि), बेनीपुर (दरभंगा)।	28.01.2020	24.09.2025	24.09.2025
---	--	------------	------------	------------

विश्वासभाजन

ह0/-

(सुनील कुमार तिवारी)

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक-7 / स्था0-04-55 / 2025सा0प्र0...2220...../पटना-15, दिनांक...30.11.26

प्रतिलिपि:-महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार, पटना/महानिबंधक, उच्च न्यायालय, पटना/सभी संबंधित प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं संबंधित न्यायिक पदाधिकारी को महानिबंधक, उच्च न्यायालय, पटना के माध्यम से तथा आई0टी0 मैनेजर, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

Sunil
30/11/26
सरकार के अवर सचिव।